कार्यालय
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, /रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कन्नौज

पत्रांक: **604** / अधि0 / स0सु0 / 2020

दिनांक–24.09.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 के अन्तर्गत वाहनों की गति सीमा का उल्लेख किया गया है जिसके अन्तर्गत उपरोक्त धारा की उपधारा–2 में गति निबंधन के संबंध में राज्य सरकारों को नियम बनाने के अधिकार दिये गये है। उत्तर प्रदेश मोटरवाहन नियमावली, 1998 के नियम–178 में मोटरयान के प्रयोग एवं गति पर निबंधन के प्रावधान किये गये है जिसके अन्तर्गत **"शहरी निकायों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबंधन या सामान्यता मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निबंधन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है, ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहाँ से वे लागू होते है, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेगें"।**

इस क्रम में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कन्नौज के पत्रांक 1012 / अधि0 / स0सु0 / 2020 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा जनपद कन्नौज में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के भू–भाग के लिए गति निबंधित कर अधिसूचित किया जा चुका है। कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 1289स0सु0 / 2020–44स0सु0 / 2014–20 लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर 2020 के क्रम में पूर्व में जारी अधिसूचना के क्रमांक संख्या 14 में विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए वर्णित गति निबंधन की सीमा को **अधिक्रमित** करते हुए आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर संचालित होने वाले विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए निम्नलिखित गति निबंधित की जाती है:–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गई गति सीमा			
			टू व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 07 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 08 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोडकर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
14	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे 140 किमी0 से 220 तक	80 Km	100 Km	80 Km	80 Km

दिनांक 18.06.2020 को जारी अधिसूचना के शेष प्रावधान यथावत बने रहेंगें।

24.09.20

(संजय कुमार झा)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कन्नौज

पृ0सं0:–604 / सं0सु0 / गति सीमा / 2020 समदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1:– परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2:– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश।
3:– जिलाधिकारी कन्नौज।
4:– पुलिस अधीक्षक कन्नौज।
5:– निदेशक छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6:– अपर परिवहन आयुक्त, (सड़क सुरक्षा) लखनऊ।
7:– अपर परिवहन आयुक्त, (आई0टी0) लखनऊ।
8:– उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) कानपुर।
9:– संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन) कानपुर।
10:– अधिशाषी अभियन्ता, प्रांतीय / निर्माण खण्ड, निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग कन्नौज।
11:– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कन्नौज / कानपुर।
12:– मुख्य सूचना अधिकारी, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे लखनऊ।

24.09.20

(संजय कुमार झा)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कन्नौज